



2026:AHC:127817

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 20024 वर्ष 2026

इज़हार

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता :राजीव कुमार सिंह

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता :शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान एजीए को सुना गया।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक को वाद अपराध संख्या 130 वर्ष 2026, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), थाना- चिलुआताल, जनपद- गोरखपुर में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। आवेदक कथित विक्रय विलेख का मात्र एक सीमांत साक्षी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि सह-अभियुक्तगण, अर्थात् शैलेन्द्र यादव एवं अनिल यादव, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 04.06.2026 एवं 05.06.2026 के आदेशों के माध्यम से, जो क्रमशः आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 17107 वर्ष 2026 तथा 18855 वर्ष 2026 में पारित किए गए थे, जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का मामला उपर्युक्त सह-अभियुक्तों की अपेक्षा अधिक बेहतर स्थिति में है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है तथा वह 26.04.2026 से जेल में निरुद्ध है।
4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् शैलेन्द्र यादव एवं अनिल यादव, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् शैलेन्द्र यादव एवं अनिल यादव, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न तो निरस्त किया गया है और न ही उस पर स्थगन लगाया गया है, तथा यह भी कि आवेदक 26.04.2026 से जेल में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उपयुक्त समझता हूँ।

7. जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त आवेदक इज़हार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। साथ ही, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा।

(i) आवेदक इस आशय का एक लिखित प्रतिज्ञान प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दंड संहिता / धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा आवेदक उस उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए भारतीय दंड संहिता / धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अवसरों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा—(1) वाद के प्रारंभ के समय, (2) आरोप तय किए जाने के समय, तथा (3) दंड प्रक्रिया संहिता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की धारा 313 के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन के समय यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह ऐसे उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपनी राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

कीर्ति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।